

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) खीवासर

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

गुड़ी आवि

बनाम

राजस्वाम-सरकार

दावा बाबत जाम डुस्ती U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 127/2021

निर्णय दिनांक :- 30-11-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30-11-21 को **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वीकार किया जाकर शक्ति पत्र रोही जाम चतकोई खणी के खाता सं. 188 में अंकित गुड़ी पुरी मंगला, जतन पुरी मंगला व परमेश्वरी पुरी मंगला के स्वाम पर जाम गुड़ी पुरी श्रीमाराज, जैता पुरी श्रीमाराज व परमेश्वरी पुरी श्रीमाराज दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार चूरु उपखण्ड के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में जाम दयाजद करें। अन्तिम में जाम डुस्ती के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जाम डुस्ती निम्नकारी वादी की होगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



30/11/21

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़



-110 रूप 1196
03.12.2021